



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित=

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 9—फरवरी 15, 2019 (माघ 20, 1940)=
No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 9—FEBRUARY 15, 2019 (MAGHA 20, 1940)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके=

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc- of Govt- Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली-110004, दिनांक 31 दिसम्बर 2018

सं. ए-34011/3/16-प्रशा.—सुश्री किरण कुमारी, स्टेनो ग्रेड 'सी', 28.12.2018 के कार्यालय आदेश द्वारा दिनांक 01.01.2019 के पूर्वाह्न से निजी सचिव नियुक्त की गई हैं।

पंकज सौरभ, अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 28 जनवरी 2019

सं. ए-34011/3/16-प्रशा.—श्री सौरभ कर्माकर, जूनियर फोटोग्राफर, 28.01.2019 के कार्यालय आदेश द्वारा दिनांक 01.02.2019 के पूर्वाह्न से फोटोग्राफिक ऑफिसर नियुक्त किये गये हैं।

पंकज सौरभ, अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए-34011/3/16-प्रशा.—श्री जुबेर आलम खान, सहायक अनुभाग अधिकारी, 28.01.2019 के कार्यालय आदेश द्वारा दिनांक 01.02.2019 के पूर्वाह्न से अनुभाग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

पंकज सौरभ, अवर सचिव (प्रशा.)

नई दिल्ली-110004, दिनांक 2 फरवरी 2018

सं. ए. 36011/6/11-प्रशा—श्री संदीप जैन, उप निदेशक (कला) को राष्ट्रपति सचिवालय से दिनांक 02 फरवरी, 2018 (अपराहन) से कार्यमुक्त किया जाता है और उन्हें राष्ट्रीय संग्रहालय में 'लेआउट आर्टिस्ट' के पद पर, जो कि राष्ट्रपति सचिवालय में नियुक्ति से ठीक पहले उनके द्वारा वास्तविक रूप से धारित पद था, प्रत्यावर्तित किया जाता है।

रूबीना चौहान, अवर सचिव (.प्रशा)

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 23 जनवरी 2019

सं. ए.22013/1(i)/2019—पीएमई—जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय से अंतर-संवर्ग स्थानान्तरण के फलस्वरूप केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्री लक्ष्मी चन्द्र को 22 जनवरी, 2019 के अपराहन से प्रधान मंत्री कार्यालय की स्टाफ संख्या में शामिल कर लिया गया है।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

सं. ए.22013/1(ii)/2019—पीएमई—संघ लोक सेवा आयोग से अंतर-संवर्ग स्थानान्तरण के फलस्वरूप केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्री रमेश यादव को 18 जनवरी, 2019 के पूर्वाहन से प्रधान मंत्री कार्यालय की स्टाफ संख्या में शामिल कर लिया गया है।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

सं. ए.22013/1(iii)/2019—पीएमई—आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, सम्पदा निदेशालय से अंतर-संवर्ग स्थानान्तरण के फलस्वरूप केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्री सौरभ मिश्रा को 21 जनवरी, 2019 के अपराहन से प्रधान मंत्री कार्यालय की स्टाफ संख्या में शामिल कर लिया गया है।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

सं. ए.22013/1(iv)/2019—पीएमई—स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से अंतर-संवर्ग स्थानान्तरण के फलस्वरूप केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार मण्डल को 18 जनवरी, 2019 के अपराहन से प्रधान मंत्री कार्यालय की स्टाफ संख्या में शामिल कर लिया गया है।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

सं. ए.22013/1(xi)/2019—पीएमई—केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव के पद पर श्री धर्मेन्द्र राय की पदोन्नति के परिणामस्वरूप उन्हें 01 जनवरी, 2019 के पूर्वाहन से प्रधान मंत्री के निजी स्टाफ में प्रतिनियुक्ति आधार पर अवर सचिव नियुक्त किया जाता है।

2. प्रधान मंत्री के निजी स्टाफ में श्री धर्मेन्द्र राय की नियुक्ति प्रधान मंत्री के कार्यकाल के सह-समाप्य आधार पर और उनके विवेकाधीन होगी।

3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 3 सितम्बर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/22(बी)/2008—Estt.(Pay-II) के संदर्भ में श्री धर्मेन्द्र राय, अवर सचिव 1 जनवरी, 2019 के पूर्वाहन से मूल वेतन (निर्धारित लेवल में वेतन) के 5% की दर से प्रतिनियुक्ति (सेवा) भत्ता आहरित करेंगे जो प्रतिमाह अधिकतम 2000 रु. होगा।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

दिनांक 24 जनवरी 2019

सं. ए.22013/1(i)/2019—पीएमई—पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अंतर-संवर्ग स्थानान्तरण के फलस्वरूप केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्री विकास कुमार विक्रोसी को 24 जनवरी, 2019 के अपराहन से प्रधान मंत्री कार्यालय की स्टाफ संख्या में शामिल कर लिया गया है।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

दिनांक 31 जनवरी 2019

सं. ए.22012/1/2016—पीएमई—विदेश मंत्रालय के दिनांक 16.01.2019 के पत्र संख्या 658/जेएस(एडी)/2019 के अनुसरण में श्री सिद्धार्थ नाथ (आईएफएस : 2003) ने विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में तैनाती हेतु 31 जनवरी 2019 के अपराहन से प्रधान मंत्री कार्यालय में निदेशक के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

सं. ए.22012/1/2019—पीएमई—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.01.2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/14/2015—ईओ(एमएम-I) के अनुसरण में सुश्री नंदिनी पालीवाल, आईएएस (एजीएमयूटी : 2003) ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में उप निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति का पदभार ग्रहण करने के लिए 31 जनवरी 2019 के अपराहन से प्रधान मंत्री कार्यालय में निदेशक के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

सं. ए.22013/1/2019—पीएमई—केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव, श्री पंकज कुमार सिन्हा (सीएसएल नं. 9426) को प्रधान मंत्री कार्यालय से कार्यमुक्त किया जाता है और उनकी सेवाएं दिनांक 31 जनवरी, 2019 के अपराहन से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सौंपी जाती हैं।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

सं. ए.22013/1(i)/2019—पीएमई—मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अंतर-संवर्ग स्थानान्तरण के फलस्वरूप केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्री अरुण कुमार को 31 जनवरी, 2019 के अपराहन से प्रधान मंत्री कार्यालय की स्टाफ संख्या में शामिल कर लिया गया है।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

सं. ए.22013/1(i)/2019—पीएमई—केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव, श्री सोनू कुमार (सीएसएल नं. 9430) को प्रधान मंत्री कार्यालय से कार्यमुक्त किया जाता है और उनकी सेवाएं दिनांक 31 जनवरी, 2019 के अपराहन से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सौंपी जाती हैं।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

सं. ए.22013/1(ii)/2019—पीएमई—केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव, श्री महेश कुमार गुप्ता (सीएसएल नं. 9450) को प्रधान मंत्री कार्यालय से कार्यमुक्त किया जाता है और उनकी सेवाएं दिनांक 31 जनवरी, 2019 के अपराहन से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सौंपी जाती हैं।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

सं. ए.22013/1(iii)/2019—पीएमई—केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव, श्री आशीष कुमार सिंह (सीएसएल नं. 9453) को प्रधान मंत्री कार्यालय से कार्यमुक्त किया जाता है और उनकी सेवाएं दिनांक 31 जनवरी, 2019 के अपराहन से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सौंपी जाती हैं।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

सं. ए.22013/1(iv)/2019—पीएमई—केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव, श्री जय प्रकाश सिंह (सीएसएल नं. 9463) को प्रधान मंत्री कार्यालय से कार्यमुक्त किया जाता है और उनकी सेवाएं दिनांक 31 जनवरी, 2019 के अपराहन से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सौंपी जाती हैं।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

सं. ए.22013/1(v)/2019—पीएमई—केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव, श्री दिनेश कुमार शुक्ला (सीएसएल नं. 9731) को प्रधान मंत्री कार्यालय से कार्यमुक्त किया जाता है और उनकी सेवाएं दिनांक 31 जनवरी, 2019 के अपराहन से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सौंपी जाती हैं।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

दिनांक 4 फरवरी 2019

सं. जीएफ.627/(i)—पीएमई—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (2) के अनुसार प्रधान मंत्री कार्यालय में श्री अरुण कुमार, अनुभाग अधिकारी को प्रधान मंत्री कार्यालय के संदर्भ में दिनांक 01 फरवरी, 2019 से सहायक केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है।

2. इसे दिनांक 03 नवंबर, 2014 की समसंख्यक अधिसूचना की अधिक्रमण में जारी किया जाता है।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

सं. जीएफ.627/(ii)—पीएमई—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (2) के अनुसार प्रधान मंत्री कार्यालय में श्री सौरभ मिश्रा, अनुभाग अधिकारी को प्रधान मंत्री कार्यालय के संदर्भ में दिनांक 01 फरवरी, 2019 से सहायक केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है।

2. इसे दिनांक 09 अक्टूबर, 2013 की समसंख्यक अधिसूचना की अधिक्रमण में जारी किया जाता है।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 जनवरी 2019

सं. 13017/45/2018-अ.भा.से.-(I)—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा झारखंड और महाराष्ट्र राज्य सरकारों की सहमति से केंद्र सरकार एतद्वारा श्री जितेंद्र डूडी, आई.ए.एस. (झारखंड:2016) का विवाह सुश्री अंचल दलाल, आई.पी.एस. (महाराष्ट्र:2018) से होने के आधार पर उनका स्थानांतरण झारखंड संवर्ग से महाराष्ट्र संवर्ग में करती है।

उदय भान सिंह, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी 2019

सं. ए. 32011/02/2018-प्रशा. राजपत्रित—राष्ट्रपति, व्यय विभाग के तारीख 09.01.2019 के का.जा.सं. 32014/2/2019-सीएस के अनुसरण में, केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निम्नलिखित नियमित निजी सचिव को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में उनके नाम के आगे उल्लिखित तारीख से प्रारंभिक तौर पर 30.06.2019 तक की अवधि के लिए लेवल 11 (₹ 67700/- — 208700/-) में पूर्णतः तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	संवर्ग में नियुक्ति की तारीख
1.	श्री आशीष शर्मा	28.12.2018 (अपराहन)
2.	श्री संजीव कुमार शर्मा	28.12.2018 (अपराहन)
3.	श्री अब्दुल वाहिद	31.12.2018 (पूर्वाहन)
4.	सुश्री प्रोमिला चौधरी	31.12.2018 (पूर्वाहन)
5.	श्री नरेन्द्र कुमार	31.12.2018 (पूर्वाहन)
6.	सुश्री गोविन्द राजावत	31.12.2018 (पूर्वाहन)

2. उपर्युक्त निजी सचिव की प्रधान निजी सचिव के रूप में तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

- क. इस तदर्थ नियुक्ति से उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए प्रवर सूची में सम्मिलित किए जाने अथवा केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- ख. अतः इस तदर्थ नियुक्ति को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।

- ग. प्रधान निजी सचिव ग्रेड में तदर्थ आधार पर प्रदत्त सेवाओं की गणना उस ग्रेड में वरिष्ठता के लिए अथवा उससे उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति हेतु नहीं की जाएगी।
- घ. सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में तारीख 15.7.2011 को पारित अंतिम निर्णय से उद्भूत एसएलपी(सी) संख्या 30621/2011 और अन्य संबंधित मामले।
- ङ अखिल भारतीय समानता फोरम और अन्य बनाम संघ सरकार (यूओआई) एवं अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी (सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के तारीख 23.8.2017 के निर्णय से उद्भूत एसपीसी (सी) सं. 31288/2017 और अन्य किसी सक्षम न्यायालय में अन्य संबंधित न्यायालय वाद।
- च. ओए सं. 2883/2015 के साथ ओए सं. 2891/2015 से उद्भूत रिट याचिका (सिविल) 1738/2017, संघ सरकार व अन्य बनाम हिमान्शु प्रभाकर व अन्य, जो माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है और सीएटी, पंजाब में समीक्षा याचिका आरए सं. 266/2016.
- छ. किसी संबंधित मामले में अन्य कोई न्यायालय वाद।

देबाशीष हल्दर, अवर सचिव

दिनांक 18 जनवरी 2019

सं. ए. 32011/02/2018-प्रशा. राजपत्रित—राष्ट्रपति, व्यय विभाग के तारीख 09.01.2019 के का.जा.सं. 12026/3/2016-सीएस के अनुसरण में, केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निम्नलिखित नियमित वैयक्तिक सहायकों को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में उनके नाम के आगे उल्लिखित तारीख से प्रारंभिक तौर पर 30.06.2019 तक की अवधि के लिए लेवल 8 (₹ 47600/- — 151100/-) में पूर्णतः तदर्थ आधार पर निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं:—

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	संवर्ग में नियुक्ति की तारीख
1.	सुश्री मंजु रानी	20.12.2018 (पूर्वाहन)
2.	श्री सुरेश कुमार	28.12.2018 (पूर्वाहन)

2. उपर्युक्त निजी सचिव की निजी सचिव के रूप में तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

- क. इस तदर्थ नियुक्ति से उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए प्रवर सूची में सम्मिलित किए जाने अथवा केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- ख. अतः इस तदर्थ नियुक्ति को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।
- ग. निजी सचिव ग्रेड में तदर्थ आधार पर प्रदत्त सेवाओं की गणना उस ग्रेड में वरिष्ठता के लिए अथवा उससे उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति हेतु नहीं की जाएगी।
- घ. सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में तारीख 15.7.2011 को पारित अंतिम निर्णय से उद्भूत एसएलपी(सी) संख्या 30621/2011 और अन्य संबंधित मामले।
- ङ अखिल भारतीय समानता फोरम और अन्य बनाम संघ सरकार (यूओआई) एवं अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी (सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के तारीख 23.8.2017 के निर्णय से उद्भूत एसपीसी (सी) सं. 31288/2017 और अन्य किसी सक्षम न्यायालय में अन्य संबंधित न्यायालय वाद।
- च. ओए सं. 2883/2015 के साथ ओए सं. 2891/2015 से उद्भूत रिट याचिका (सिविल) 1738/2017, संघ सरकार व अन्य बनाम हिमान्शु प्रभाकर व अन्य, जो माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है और सीएटी, पंजाब में समीक्षा याचिका आरए सं. 266/2016.
- छ. किसी संबंधित मामले में अन्य कोई न्यायालय वाद।

देबाशीष हल्दर, अवर सचिव

दिनांक 22 जनवरी 2019

सं. ए. 12011/04/2017-प्रशा.॥—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28.12.2018 के आदेश सं. 4/11/2015-सीएस.॥(डी)(पार्ट-I)(खंड-III) के अनुसरण में, निम्नलिखित केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के ग्रेड-I (अवर सचिवों) को पे मैट्रिक्स के लेवल 12 (₹ 78,800/- — 2,09,200/-) में पूर्णतः तदर्थ आधार पर 30.06.2019 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर पदों के भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों के होने, इनमें से जो भी पहले हो तक उनके नामों के आगे उल्लिखित वरिष्ठता से वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में चयन ग्रेड (उप सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं:—

सीएसएल	नाम (सुश्री/श्रीमती/श्री)	नियुक्ति की तारीख
6317	डी बंध्योपाध्याय	14.01.2019 (पूर्वाहन)

2. उपर्युक्त अधिकारियों की तदर्थ-आधार पर उप सचिव के रूप में नियुक्ति/पदोन्नति दिनांक 28.12.2018 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 4/11/2015-सीएस.॥(डी)(पार्ट-I)(खंड-III) में उल्लिखित शर्तों/निर्देशों के अध्यधीन होगी। यह एसएलपी(सी) सं. 30621/2011 (जनरैल सिंह और अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता और अन्य) एवं एसएलपी (सी) सं. 31288/2017 और किसी तरह से जुड़े अन्य किसी आदालती मामले के भी अध्यधीन होगी।

देबाशीष हल्दर, अवर सचिव

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 22 जनवरी, 2019

सं. 9/7/2018-प्रशासन—गृह मंत्रालय (रा.भा.) के दिनांक 08.11.2018 के कार्यालय आदेश सं. 5/6/2017-रा.भा.(सेवा) और तत्पश्चात आर्थिक कार्य विभाग (प्रशासन प्रभाग) के दिनांक 15.11.2018 के कार्यमुक्ति आदेश के अनुसरण में राष्ट्रपति श्रीमती रेखा रानी सूर्य, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक को दिनांक 16.11.2018 के पूर्वाहन से नियमित आधार पर सहायक निदेशक (रा.भा.) के पद पर नियुक्त करते हैं।

रागेश कांत, अवर सचिव

सं. 9/9/2018-प्रशासन—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25.10.2018 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2018-सीएस.॥ (ए) के अनुसरण में तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के दिनांक 10.12.2018 के कार्यालय आदेश सं. ए-11019/1/2013-प्रशा.॥ के तहत उनके कार्यमुक्त होने और व्यय विभाग (सीएसएस) के दिनांक 19.12.2018 के आदेश के तहत दीपम में तैनात होने के उपरान्त राष्ट्रपति सुश्री संध्या नेर, वैयक्तिक सहायक को दिनांक 11.12.2018 के पूर्वाहन से तदर्थ आधार पर निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. निजी सचिव के रूप में अधिकारी की पूर्णतः तदर्थ आधार पर नियुक्ति विशेष रूप से निम्नलिखित और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25.10.2018 के आदेश सं. 4/2/2018-सीएस.॥(ए) में यथा-निर्धारित अन्य निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन है:

- I. माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में दिनांक 15.07.2011 को पारित अंतिम निर्णय और आदेश से उत्पन्न एसएलपी (सी) संख्या 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित मामले;
- II. ऑल इंडिया इक्विलिटी फोरम व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य के संबंध में दायर डब्ल्यूपी(सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय से उत्पन्न एसएलपी (सी) संख्या 31288/2017 और किसी सक्षम न्यायालय में अन्य संबंधित अदालती मामले।
- III. ओए सं. 2883/2015 के साथ ओए सं. 2891/2015 तथा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पंजाब में समीक्षा याचिका आरए सं. 266/2016 से उत्पन्न एवं माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित भारत संघ व एएनआर बनाम हिमांशु प्रभाकर व अन्य में डब्ल्यू पी(सी) 1738/2017
- IV. संबंधित मामले में अन्य कोई अदालती मामला।

रागेश कांत, अवर सचिव

सं. 9/10/2018-प्रशासन—केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड की वर्ष 2017 की चयन सूची में वरियता कोटा के विरुद्ध उनका नाम शामिल किए जाने और तत्पश्चात व्यय विभाग के दिनांक 20.12.2018 के कार्यालय जापन सं. ए.12026/5/2015-सीएस (खंड III) के तहत जारी नामांकन तथा तैनाती आदेश के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक अनुभाग अधिकारी श्री अकुला श्रीनिवासुलु (सीएसएल नं. 2005/509) को दिनांक 20.12.2018 के पूर्वाहन से नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. अनुभाग अधिकारी के रूप में अधिकारी की नियमित आधार पर नियुक्ति विशेष रूप से निम्नलिखित और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.11.2018 के आदेश सं. 6/6/2018-सीएस-1(एस) में यथा-निर्धारित अन्य निबंधनों और शर्तों के अधीन है :

निम्नलिखित अदालती मामलों में आदेश/निष्कर्ष तथा किसी भी संबंधित मामले में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित कोई अन्य आदेश :—

- i. भारत के उच्चतम न्यायालय में एसएलपी (सिविल) संख्या 30621/2011, एसएलपी संख्या 31288/2017 और अवमानना याचिका सं. 314/2016;
- ii. श्री दीपक मल्होत्रा व अन्य बनाम भारत संघ के मामले में दायर ओए सं. 823/2013

रागेश कांत, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 जनवरी 2019

सं. ए-32012/1/2010-स्थापना—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 के कार्यालय जापन संख्या 6/4/2016-सी. एस. 1(एस) के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक अनुभाग अधिकारी, श्री अरविन्द कुमार को वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47,600 रुपये से 1,51,100 रुपये) में दिनांक 1 जनवरी, 2019 पूर्वाहन से दिनांक 31.12.2019 तक की प्रारम्भिक अवधि के लिए अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उपभोक्ता मामले विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. अनुभाग अधिकारी (सी.एस.एस.) के पद पर उपर्युक्त नियुक्ति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 के कार्यालय जापन संख्या 6/4/2016-सी.एस. 1 (एस) के पैरा 4(vii) में यथाउल्लिखित मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले आदेशों तथा किसी सम्बन्धित मामले में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले अगले आदेशों के अधीन होगी।

अनिल कुमार पाण्डेय, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(सीएचएस प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 जनवरी 2019

सं. ए. 12025/161/2017-सीएचएस-III—राष्ट्रपति महोदय, डॉ. रवि प्रकाश को दिनांक 01.11.2017 के पूर्वाहन से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में एनेस्थेसिया की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हैं।

सी. एस. बहुगुणा, अवर सचिव

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400001, दिनांक 23 जनवरी 2019

सं. 6(2788)/2017-प्रशा./1065—संयुक्त सचिव (प्रशासन एवं लेखा), परमाणु ऊर्जा विभाग श्री डी. रामाकृष्ण, लेखा अधिकारी [वेतन मैट्रिक्स का लेवल-9], आईआईडब्ल्यू, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद, को दिनांक 01 मई, 2018 (पूर्वाहन) से भावी आदेश होने तक वरिष्ठ लेखा अधिकारी [वेतन मैट्रिक्स का लेवल-10] के रूप में उसी विभाग में नियुक्त करते हैं।

अशोक बी गेरीरा, अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 2019

सं. 19011/1/2019-स्था.—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22.11.2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/2/2018-सीएस. II (ए) के अनुसरण में और कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के दिनांक 20.12.2018 के आदेश संख्या ए-31023/1/2018- प्रशा. के द्वारा कार्यभार मुक्त होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति दिनांक 28.12.2018 (पूर्वाहन) से जनजातीय कार्य मंत्रालय में सुश्री रश्मि मनचंदा को तदर्थ आधार पर निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं। सुश्री रश्मि मनचंदा की तदर्थ आधार पर निजी सचिव के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :—

- (क) माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित सीडब्लूपी संख्या 13218/2009 में अंतिम निर्णय के कारण हुई विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 30621/2011 तथा दिनांक 15.07.2011 के आदेश एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित मामले;
- (ख) अखिल भारतीय समता फोरम एवं अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य द्वारा दर्ज रिट याचिका (सी) संख्या 3490/2010 में दिनांक 23.8.2017 के माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के कारण विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 31288/2017 तथा किसी सक्षम न्यायालय में अन्य संबंधित अदालती मामले;
- (ग) सीएटी, पंजाब में ओए संख्या 2891/2015 तथा समीक्षा याचिका आरए संख्या 266/2016 के साथ ओए संख्या 2882/2015 के कारण माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित भारतीय संघ एवं एनआर बनाम हिमांशु प्रभाकर एवं अन्य में रिट याचिका (सी) 1738/2017;
- (घ) संबंधित मामले में कोई अन्य अदालती मामला।

रीमा शर्मा, अवर सचिव

सं. 19011/3/2019-स्था.—आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 29.08.2018 के आदेश सं. 13016/2/2018-आईईएस के अनुसरण में, राष्ट्रपति दिनांक 07.01.2019 के पूर्वाहन से सुश्री शेरी ललथांगजो (आईईएस : 1996) को जनजातीय कार्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

रीमा शर्मा, अवर सचिव

सं.19011/5/2019-स्था.—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28.12.2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/2/2018-सीएस. II (ए) के अनुसरण में और वाणिज्य विभाग के दिनांक 18.01.2019 के आदेश संख्या ए-32013/01/2018- स्था. के द्वारा कार्यभार मुक्त होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति दिनांक 21.01.2019 (पूर्वाहन) से जनजातीय कार्य मंत्रालय में सुश्री दीपा जोशी को तदर्थ आधार पर निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं। सुश्री दीपा जोशी की तदर्थ आधार पर निजी सचिव के रूप में नियुक्ति दिनांक 28.12.2018 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/2/2018-सीएस. II (ए) में निर्धारित शर्तों तथा निम्नलिखित न्यायालय मामलों के परिणामों के अधीन है :—

- (क) माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित सीडब्लूपी संख्या 13218/2009 में अंतिम निर्णय के कारण हुई विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 30621/2011 तथा दिनांक 15.07.2011 के आदेश एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित मामले;
- (ख) अखिल भारतीय समता फोरम एवं अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य द्वारा दर्ज रिट याचिका (सी) संख्या 3490/2010 में दिनांक 23.8.2017 के माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के कारण विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 31288/2017 तथा किसी सक्षम न्यायालय में अन्य संबंधित अदालती मामले;
- (ग) सीएटी, पंजाब में ओए संख्या 2891/2015 तथा समीक्षा याचिका आरए संख्या 266/2016 के साथ ओए संख्या 2882/2015 के कारण माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित भारतीय संघ एवं एनआर बनाम हिमांशु प्रभाकर एवं अन्य में रिट याचिका (सी) 1738/2017;
- (घ) संबंधित मामले में कोई अन्य अदालती मामला।

रीमा शर्मा, अवर सचिव

सं.19011/20/2018-स्था.—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22.11.2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/2/2018-सीएस. II (ए) के अनुसरण में और कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के दिनांक 20.12.2018 के आदेश संख्या ए-31023/1/2018-प्रशा. के द्वारा कार्यभार मुक्त होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति दिनांक 31.12.2018 (पूर्वाहन) से जनजातीय कार्य मंत्रालय में श्री राज कुमार बाडलिया को तदर्थ आधार पर निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं। श्री राज कुमार बाडलिया की तदर्थ आधार पर निजी सचिव के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :—

- (क) माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित सीडब्लूपी संख्या 13218/2009 में अंतिम निर्णय के कारण हुई विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 30621/2011 तथा दिनांक 15.07.2011 के आदेश एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित मामले;
- (ख) अखिल भारतीय समता फोरम एवं अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य द्वारा दर्ज रिट याचिका (सी) संख्या 3490/2010 में दिनांक 23.8.2017 के माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के कारण विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 31288/2017 तथा किसी सक्षम न्यायालय में अन्य संबंधित अदालती मामले;
- (ग) सीएटी, पंजाब में ओए संख्या 2891/2015 तथा समीक्षा याचिका आरए संख्या 266/2016 के साथ ओए संख्या 2882/2015 के कारण माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित भारतीय संघ एवं एएनआर बनाम हिमांशु प्रभाकर एवं अन्य में रिट याचिका (सी) 1738/2017;
- (घ) संबंधित मामले में कोई अन्य अदालती मामला।

रीमा शर्मा, अवर सचिव

सं. 32013/2/2018-स्था.—दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/5/2017-सीएस. II (ए) के अनुपालन में, सीएसएसएस के निम्नलिखित प्रधान निजी सचिवों को दिनांक 28.12.2018 (अपराहन) से 30.06.2019 की अवधि के लिए या पदों को नियमित आधार पर भरे जाने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, जनजातीय कार्य मंत्रालय में तदर्थ आधार पर वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया है।

- (i) श्री सतीश कुमार, प्रधान निजी सचिव
- (ii) श्री ठाकुर सिंह नेगी, प्रधान निजी सचिव

2. अधिकारियों की पदोन्नति दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/5/2017-सीएस. II (ए) में निर्धारित शर्तों के अधीन है।

रीमा शर्मा, अवर सचिव

सं. 32013/3/2018-स्था.—दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 3/3/2018-सीएस. II (ए) के अनुपालन में, सीएसएसएस के निम्नलिखित निजी सचिवों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से 30.06.2019 की अवधि के लिए या पदों को नियमित आधार पर भरे जाने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, जनजातीय कार्य मंत्रालय में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया है।

- (i) श्री हरविन्द्र सिंह, निजी सचिव - 28.12.2018 (अपराहन)
- (ii) सुश्री मधु साहनी, निजी सचिव - 28.12.2018 (अपराहन)
- (iii) सुश्री विद्युत प्रभा, निजी सचिव - 01.01.2019 (पूर्वाहन)

2. अधिकारियों की पदोन्नति दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 3/3/2018-सीएस. II (ए) में निर्धारित शर्तों के अधीन है।

रीमा शर्मा, अवर सचिव

सं.32013/4/2018-स्था.—दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 5/4/2017-सीएस. II (यु) के अनुपालन में, सीएसएस के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को दिनांक 01.01.2019 (पूर्वाहन) से 30.06.2019 की अवधि के लिए

या पदों को नियमित आधार पर भरे जाने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, जनजातीय कार्य मंत्रालय में पूर्णतः तदर्थ आधार पर वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 में सीएसएस के ग्रेड-I (अवर सचिव) में पदोन्नत किया गया है।

- (i) श्री राजीव कुमार सिंह, अनुभाग अधिकारी
- (ii) श्री प्रवीण पंडित, अनुभाग अधिकारी
- (iii) श्री संजय कुमार तिवारी, अनुभाग अधिकारी

2. अधिकारियों की पदोन्नति दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 5/4/2017-सीएस.।(यू) में निर्धारित शर्तों के अधीन है।

रीमा शर्मा, अवर सचिव

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली दिनांक , 24 जनवरी 2019

सं. 2016/ई (जीआर) II/7/16—राष्ट्रपति, सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2012 के आधार पर चयन किए गए निम्नलिखित डॉक्टरों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से भारतीय रेल चिकित्सा सेवा में सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं:—

क्र.सं.	आईआर एमएस रैंक	नाम (डा.)	कोटि	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख	रिवाइव, यदि किया गया हो	टिप्पणियां, यदि कोई हों
1	9	(सुश्री) सुमैया सिद्दिकी	सा.	12.09.2013		अध्ययन अवकाश पर
2	11	राजीव कमल	अ.व.पि.	06.01.2014		
3	14	धन्वंतरी शुक्ला	सा.	27.06.2017	रिवाइव किया गया	13.04.2018 से अनुपस्थित
4	19	सायान्तन साहा	सा.	06.01.2014		
5	23	अमरेन्द्र कुमार चौधरी	सा.	21.12.2015	रिवाइव किया गया	
6	26	श्रवण कुमार	अ.व.पि.	06.01.2014		18.06.2015 से त्यागपत्र दे दिया है।
7	32	अर्चु बासु	सा.	15.09.2014		
8	33	सुप्रिया गुरिया	सा.	15.09.2014		
9	34	वरुण एस.	अ.व.पि.	15.09.2014		19.10.2015 से त्यागपत्र दे दिया है।
10	37	(सुश्री) अस्मिता सिंह	सा.	09.01.2017	रिवाइव किया गया	31.07.2017 से अनुपस्थित
11	41	(सुश्री) सुनेत्र रॉय	सा.	15.09.2014		
12	42	कृति सुंदर लाल	सा.	06.01.2014		
13	47	राहुल सिंह	सा.	06.01.2014		अध्ययन अवकाश पर
14	48	संदीप कुमार परिया	सा.	28.04.2014		
15	56	तुषार सैनी	अ.व.पि.	27.06.2017	रिवाइव किया गया	
16	60	मुल्लापुडी आदित्य कुमार वेंकट	सा.	06.01.2014		अध्ययन अवकाश पर
17	61	(सुश्री) शक्राजा	अ.व.पि.	21.12.2015	रिवाइव किया गया	
18	62	(सुश्री) नुपुर पांडे	सा.	06.01.2014		
19	76	मराठे पराग श्रीकृष्णा	सा.	06.01.2014		

20	80	सुदीप्तो मलिक	सा.	21.12.2015	रिवाइव किया गया	
21	83	(सुश्री) शुभामाँय गेनटैट	सा.	06.01.2014		
22	87	दीपक बिन्दल	सा.	12.09.2013		
23	93	(सुश्री) अनीता कुमारी	सा.	30.03.2016	रिवाइव किया गया	
24	95	(सुश्री) पूजा नवल	सा.	21.12.2015	रिवाइव किया गया	
25	96	इमरान खान	अ.व.पि.	21.12.2015	रिवाइव किया गया	
26	100	बी.वी. कृष्णा	अ.व.पि.	10.01.2014		
27	101	अशोक बन्सल	सा.	21.12.2015	रिवाइव किया गया	
28	102	अरुणराज एम.वी.	अ.व.पि.	27.06.2017	रिवाइव किया गया	
29	103	कार्तिक रस्तोगी	सा.	28.04.2014		एनएआईआर में प्रशिक्षण के दौरान 23.05.2014 से त्यागपत्र दे दिया है।
30	106	सरसिज कांडपाल	सा.	27.06.2017	रिवाइव किया गया	
31	115	कविन खत्री	सा.	15.09.2014		एनएआईआर में प्रशिक्षण के दौरान त्यागपत्र दे दिया है।
32	117	कमल कुमार	सा.	27.06.2017	रिवाइव किया गया	
33	119	संकेत आनंद	अ.व.पि.	06.01.2014		
34	120	ऋषि दीक्षित	सा.	27.06.2017	रिवाइव किया गया	
35	122	संतोष कुमार मौर्य	अ.व.पि.	06.01.2014		
36	127	(सुश्री) पायल प्रकाश	अ.व.पि.	28.04.2014		
37	128	राजेश जक्कू	अ.व.पि.	06.01.2014		अध्ययन अवकाश पर
38	134	अरुण श्रवणन एस.	अ.व.पि.	15.09.2014		
39	135	करन चौधरी	अ.व.पि.	06.01.2014		03.09.2015 से त्यागपत्र दे दिया है। (कलटेक्नी)
40	139	अंशुमन मुकुल	अ.व.पि.	21.12.2015	रिवाइव किया गया	
41	141	जटाधारी महार	अ.व.पि.	06.01.2014		
42	152	नम्रता सिंह	अ.व.पि.	27.06.2017	रिवाइव किया गया	
43	154	दुधमाले मनीषा नागराव	अ.जा.	06.01.2014		
44	158	मुल्ला सादिक युनूस	अ.व.पि.	06.01.2014		16.06.2014 से अनुपस्थित
45	161	ढागे राजेश सुरेशराव	अ.व.पि.	06.01.2014		
46	166	अफशां पी.टी.	अ.व.पि.	06.01.2014		29.06.2014 से अनुपस्थित
47	171	तरुण पीला	अ.व.पि.	06.01.2014		अध्ययन अवकाश पर
48	172	दीपक सिंह	अ.व.पि.	06.01.2014		05.08.2017 से अनुपस्थित
49	174	बिजय बानिक	अ.जा.	06.01.2014		
50	178	हदिक अल जौहर के.	अ.व.पि.	06.01.2014		01.06.2015 से अनुपस्थित
51	179	संजीत कुमार	अ.व.पि.	27.06.2017		

52	180	इंद्रजीत उरडिया	अ.व.पि.	06.01.2014		अध्ययन अवकाश पर
53	181	अब्दुल्ला	अ.व.पि.	06.01.2014		जून 2014 से अनुपस्थित
54	186	पी. प्रणय वानी	अ.व.पि.	21.12.2015	रिवाइव किया गया	
55	187	हर्षा यू.	अ.व.पि.	06.01.2014		अध्ययन अवकाश पर
56	195	षनमुगा प्रिया एस.	अ.व.पि.	12.09.2013		
57	196	स्वाति रानी सिंह	अ.व.पि.	06.01.2014		
58	197	विवेक कुमार सोनी	अ.व.पि.	06.01.2014		अध्ययन अवकाश पर
59	202	(सुश्री) मधु माला	अ.व.पि.	27.06.2017	रिवाइव किया गया	
60	204	अजय कुमार	अ.व.पि.	06.01.2014		
61	206	(सुश्री) अनुपमा कुमारी	अ.व.पि.	09.01.2017	रिवाइव किया गया	
62	211	एम. प्रवीन कुमार	अ.जा.	06.01.2014		18.10.2014 से अनुपस्थित
63	211A	(सुश्री) रेखा दूनीवाल	अ.व.पि.	15.09.2014		
64	213	रचुरी नरसिम्हा निशांत	अ.जा.	06.01.2014		
65	215	गणेश्वर गोली	अ.जा.	27.06.2017	रिवाइव किया गया	
66	216	धर्मराज सिंह	अ.जा.	01.07.2015		
67	217	(सुश्री) अनीता बघेल	अ.जा.	06.01.2014		
68	218	विजय कुमार एम.	अ.जा.	06.01.2014		
69	224	विनोद राठौड़	अ.जा.	06.01.2014		01.06.2015 से असाधारण अवकाश पर
70	228	जीमंजूनाथ .	अ.जा.	06.01.2014		21.05.2015 से असाधारण अवकाश पर
71	233	(सुश्री) राजलक्ष्मी तलपला	अ.जा.ज.	12.09.2013		27.05.2016 से अनुपस्थित
72	234	पंकज माहेश्वरी (पीएच)	सा./पीएच	06.01.2014		अध्ययन अवकाश पर
73	237	सीराम दुर्गा प्रसाद	अ.जा.ज.	06.01.2014		
74	241	(सुश्री) मेल्विन एफेरविस .	अ.जा.ज.	12.09.2013		
75	242	नसरीम वालूगोथी	अ.जा.ज.	06.01.2014		
76	243	शेषाद्रा कृष्णा सोनोवाल	अ.जा.ज.	09.01.2017	रिवाइव किया गया	
77	247	(सुश्री) नीति कुमारी	अ.जा.ज.	28.04.2014		

आर. के. सिन्हा
संयुक्त निदेशक/स्थायपना (राजपत्रित)

नई दिल्ली, दिनांक 24 जनवरी 2019

सं. ईआरबी-1/2018/2/92—राष्ट्रपति जी, श्री वी.के. यादव, आईआरएसईई को 01.01.2019 के पूर्वाह्न से अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड एवं भारत सरकार के पदेन प्रधान सचिव के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सुशांत कुमार मिश्रा, सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 2019

सं. ईआरबी-1/2018/10/66—श्री अश्वनी लोहानी, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय में भारत सरकार के पदेन प्रधान सचिव अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31.12.2018 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

रंजनेश सहाय, सचिव

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 दिसम्बर 2018

अधिसूचना संख्या 01/2018 [सं. 22/21/2016-जीडब्ल्यू ई (खण्ड-II)]—केंद्रीय भूमि जल बोर्ड में कार्यरत डा. मनीष श्रीवास्तव, कनिष्ठ जल वैज्ञानिक (वैज्ञानिक 'ख') को दिनांक 13.09.2012 के पत्र सं. 51(36) एमएस/स्था./खंड 3/2002-428 द्वारा जारी सीजीडब्ल्यूबी के वर्ष 2012 के कार्यालय आदेश संख्या 280 के तहत जनहित में सीजीडब्ल्यूबी, पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर से सीजीडब्ल्यूबी, दक्षिणी क्षेत्र, हैदराबाद स्थानांतरित किया गया था। लेकिन डा. मनीष श्रीवास्तव ने आदेश का पालन करने की बजाय, उन्होंने माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट), जयपुर पीठ के समक्ष ओए सं. 276/2012 दायर करते हुए स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी जिसे माननीय कैट ने गुण-दोषों के आधार पर उपयुक्त न पाते हुए, लागत के संबंध में कोई आदेश न पारित करते हुए, दिनांक 04.04.2013 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था।

2. माननीय कैट, जयपुर पीठ के दिनांक 04.04.2012 के निर्देश के अनुपालन में दिनांक 09.04.2013 के पत्र संख्या 51(36) एमएस/स्था./खंड 3/2017-396 के तहत जारी वर्ष 2013 के कार्यालय आदेश संख्या 29 द्वारा डा. मनीष श्रीवास्तव को सीजीडब्ल्यूबी, पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर से कार्यमुक्त करते हुए सीजीडब्ल्यूबी, दक्षिणी क्षेत्र, हैदराबाद में इयूटी के लिए रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया था।

3. डा. मनीष श्रीवास्तव ने न तो हैदराबाद में कार्यभार संभाला और न ही नियमानुसार अवकाश के लिए आवेदन किया। बल्कि उन्होंने स्थानांतरण आदेश के खिलाफ अदालत में मामले दायर करना जारी रखा और कई वर्षों से एक ही मुद्दे पर कई अभ्यावेदन प्रस्तुत करते रहे, जिसने मंत्रालय और सीजीडब्ल्यूबी को लगातार पत्राचार में व्यस्त रखा और अदालती मामलों का अतिरिक्त बोझ भी डाला। मंत्रालय ने अदालत के विभिन्न निर्णयों का पालन किया तथा अधिकारी द्वारा 06.06.2013, 19.03.2014, 30.08.2015 और 23.04.2016 के अभ्यावेदनों में उठाए गए सभी मसलों पर विधिवत विचार किया और सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 14.03.2014, 21.06.2016 तथा 13.07.2016 के विस्तृत स्वतः स्पष्ट आदेश जारी करके उनका उत्तर दिया गया तथा डा. मनीष श्रीवास्तव को हर बार हैदराबाद में तत्काल कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया था। खेद है कि डा. मनीष श्रीवास्तव ने सीजीडब्ल्यूबी, दक्षिणी क्षेत्र, हैदराबाद में कार्यभार नहीं संभाला है और न ही नियमानुसार अवकाश के लिए आवेदन किया है।

4. केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली, 1972 के नियम 12(2) के साथ पठित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 29.03.2012 की अधिसूचना सा.का.नि. 261 (असाधारण) की शर्तानुसार, यदि कोई सरकारी कर्मचारी, विदेश सेवा के अलावा, अवकाश सहित अथवा अवकाश रहित, पांच वर्षों से अधिक की अवधि के लिए लगातार इयूटी पर अनुपस्थित रहता है तो उसके बारे में मान लिया जाएगा कि उसने सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे दिया है, बशर्ते कि सरकारी सेवक पर उप नियम (2) के प्रावधान लागू करने से पहले उसे ऐसी अनुपस्थिति के लिए कारण बताने का उचित अवसर दिया जाएगा।

5. डा. मनीष श्रीवास्तव को क्षेत्रीय निदेशक, सीजीडब्ल्यूबी, पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर के माध्यम से, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, फरीदाबाद द्वारा दिनांक 24.05.2018 को कारण बताओ नोटिस संख्या 3-1298/2001-वैज्ञा.स्था.3039 दिया गया था जिसमें उन्हें यह बताने का एक अवसर और प्रदान किया गया कि वे बताएं बार-बार निर्देश देने के बावजूद भी उनके द्वारा लंबी अवधि तक बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने के कारण उनके खिलाफ केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली, 1972 के नियम 12(2) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए।

6. डा. मनीष श्रीवास्तव ने दिनांक 19.06.2018 को भारत के माननीय राष्ट्रपति को संबोधित (सचिव, ज.सं., न.वि. और गं.सं. के माध्यम से) अपना उत्तर प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने उन्हीं बिंदुओं का पुनः उल्लेख किया है जिन पर उन्होंने अदालतों में और अपने पहले के अभ्यावेदनों में आपत्ति जताई थी। उनके द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले ही विचार किया और निपटाया जा चुका है। दिनांक 14.03.2014, 21.06.2016 तथा 13.07.2016 के स्वतः स्पष्ट आदेश द्वारा उनका उत्तर दिया जा चुका है। अतः दिनांक 19.06.2018 के कारण बताओ नोटिस के जवाब में डा. मनीष श्रीवास्तव से प्राप्त उत्तर की सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनः जांच की गई और इस मंत्रालय के दिनांक 26.12.2018 के पत्र संख्या 22/21/2016-जीडब्ल्यू ई (खंड-III) के द्वारा स्वतः स्पष्ट आदेश जारी किया गया है।

7. डा. मनीष श्रीवास्तव ने बिना पूर्व अनुमति के अपने आप को दिनांक 09.04.2013 (अपराहन) से लगातार कार्यालय से अनुपस्थित रखा तथा उन्होंने न तो सीजीडब्ल्यूबी, दक्षिण क्षेत्र, हैदराबाद में कार्यभार संभाला और न ही अवकाश के लिए आवेदन किया। दिनांक 09.04.2013 (अपराहन) से अब तक अनुपस्थिति की अवधि 5 (पांच) वर्ष से अधिक हो गई है।

8. इसलिए, अब भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली 1972 के नियम 12(2) के साथ पठित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29.03.2012 के सा.का.नि. 261 (असाधारण) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डा. मनीष श्रीवास्तव द्वारा इयूटी से बिना अनुमति के लगातार अनुपस्थित रहने को, उनके द्वारा दिनांक 09.04.2013 (अपराहन) को सरकारी सेवा से त्यागपत्र दिया जाना मानते हैं।

9. डा. मनीष श्रीवास्तव, कनिष्ठ जल भूवैज्ञानिक (वैज्ञानिक 'ख') सेवानिवृत्ति संबंधी किसी भी लाभ के पात्र नहीं होंगे।

एस. के. कटारिया, अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi-110004, the 31st December 2018

No. A-34011/3/16-Admn—Ms. Kiran Kumari, Steno Grade 'C', has been appointed as Private Secretary w.e.f. the forenoon of 01.01.2019 vide Office Order dated 28.12.2018.

PANKAJ SAURABH, Under Secretary (Admn)

The 28th January 2019

No. A-34011/3/16-Admn: Shri Sourav Karmakar, Junior Photographer, has been appointed as Photographic Officer w.e.f. the forenoon of 01.02.2019 vide Office Order dated 28.01.2019.

PANKAJ SAURABH, Under Secretary (Admn)

No. A-34011/3/16-Admn—Shri Zubair Alam Khan, Assistant Section Officer, has been appointed as Section Officer w.e.f. the forenoon of 01.02.2019 vide Office Order dated 28.01.2019.

PANKAJ SAURABH, Under Secretary (Admn)

New Delhi-110004, the 2nd February 2018

No. A-36011/6/11-Admn.—Shri Sandeep Jain, Deputy Director (Art), is relieved off from the President's Secretariat and reverted back to the post of Layout Artist in National Museum, substantively held by him immediately preceding his appointment, with effect from the afternoon of 2nd February 2018.

RUBINA CHAUHAN, Under Secretary (Admn)

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110011, the 23rd January 2019

No. A-22013/1(i)/2019-PME—Consequent upon his inter cadre transfer from Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Shri Lakshmi Chandra, Section Officer of Central Secretariat Service, has been taken on the strength of Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 22nd January, 2019.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

No. A-22013/1(ii)/2019-PME—Consequent upon his inter cadre transfer from Union Public Service Commission, Shri Ramesh Yadav, Section Officer of Central Secretariat Service, has been taken on the strength of Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 18th January, 2019.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

No. A-22013/1(iii)/2019-PME—Consequent upon his inter cadre transfer from Ministry of Housing and Urban Affairs, Directorate of Estates, Shri Saurabh Misra, Section Officer of Central Secretariat Service, has been taken on the strength of Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 21st January, 2019.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

No. A-22013/1(iv)/2019-PME—Consequent upon his inter cadre transfer from Ministry of Health and Family Welfare, Shri Jitendra Kumar Mandal, Section Officer of Central Secretariat Service, has been taken on the strength of Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 18th January, 2019.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

No. A-22013/1(xi)/2019-PME—Consequent upon his promotion, Shri Dharmendar Rai, Under Secretary of Central Secretariat Service is appointed in the same capacity on the personal staff of Prime Minister on deputation basis with effect from the forenoon of 01st January, 2019.

2. The appointment of Shri Dharmendar Rai on the personal staff of Prime Minister is co-terminous with the tenure of and at the discretion of the Prime Minister.

3. In terms of Department of Personnel & Training's O.M. No. 2/22(B)/2008-Estt.(Pay-II) dated 3rd September, 2008, Shri Dharmendar Rai, US shall draw a Deputation (Duty) Allowance @ 5% of basic pay (pay in the prescribed Level) subject to a maximum of Rs. 2000/- per month w.e.f. the forenoon of 01st January, 2019.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

The 24th January 2019

No. A-22013/1(i)/2019-PME—Consequent upon his inter cadre transfer from Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Shri Vikash Kumar Vikrosy, Section Officer of Central Secretariat Service, has been taken on the strength of Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 24th January, 2019.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

No. A-22012/1/2016-PME—In pursuance of Ministry of External Affairs' communication no. 658/JS(AD)/2019 dated 16.01.2019, Shri Siddhartha Nath, (IFS: 2003) has relinquished the charge of the post of Director in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 31st January, 2019 for deployment as Director in the Ministry of External Affairs.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

No. A-22012/1/2019-PME—In pursuance of Department of Personnel & Training's Office Memorandum No. 6/14/2015-EO(MM-I) dated 30.01.2019, Ms. Nandini Paliwal, IAS (AGMUT: 2003) has relinquished the charge of the post of Director in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 31st January, 2019 to take up her appointment as Deputy Director, Lal Bahadur Shastri National Academy for Administration.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

No. A-22013/1/2019-PME—Shri Pankaj Kumar Sinha (CSL No. : 9426), Under Secretary of the Central Secretariat Service, is hereby relieved from the Prime Minister's Office and his services are placed at the disposal of the Department of Personnel & Training with effect from the afternoon of 31st January, 2019.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

No. A-22013/1(i)/2019-PME—Consequent upon his inter cadre transfer from Ministry of Human Resource Development, Shri Arun Kumar, Section Officer of Central Secretariat Service, has been taken on the strength of Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 31st January, 2019.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

No. A-22013/1(i)/2019-PME—Shri Sonu Kumar (CSL No. : 9430), Under Secretary of the Central Secretariat Service, is hereby relieved from the Prime Minister's Office and his services are placed at the disposal of the Department of Personnel & Training with effect from the afternoon of 31st January, 2019.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

No. A-22013/1(ii)/2019-PME—Shri Mahesh Kumar Gupta (CSL No. : 9450), Under Secretary of the Central Secretariat Service, is hereby relieved from the Prime Minister's Office and his services are placed at the disposal of the Department of Personnel & Training with effect from the afternoon of 31st January, 2019.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

No. A-22013/1(iii)/2019-PME—Shri Ashish Kumar Singh (CSL No. : 9453), Under Secretary of the Central Secretariat Service, is hereby relieved from the Prime Minister's Office and his services are placed at the disposal of the Department of Personnel & Training with effect from the afternoon of 31st January, 2019.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

No. A-22013/1(iv)/2019-PME—Shri Jai Prakash Singh (CSL No. : 9463), Under Secretary of the Central Secretariat Service, is hereby relieved from the Prime Minister's Office and his services are placed at the disposal of the Department of Personnel & Training with effect from the afternoon of 31st January, 2019.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

No. A-22013/1(v)/2019-PME—Shri Dinesh Kumar Shukla (CSL No. : 9731), Under Secretary of the Central Secretariat Service, is hereby relieved from the Prime Minister's Office and his services are placed at the disposal of the Department of Personnel & Training with effect from the afternoon of 31st January, 2019.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

The 4th February 2019

No. G.F.627(i)-PME—In terms of Section 5(2) of the Right to Information Act, 2005, Shri Arun Kumar, Section Officer in the Prime Minister's Office, is designated as Assistant Central Public Information Officer in respect of Prime Minister's Office with effect from 01st February, 2019.

2. This issues in supersession of Notification of even number dated 03rd November, 2014.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

No. G.F.627(ii)-PME—In terms of Section 5(2) of the Right to Information Act, 2005, Shri Saurabh Misra, Section Officer in the Prime Minister's Office, is designated as Assistant Central Public Information Officer in respect of Prime Minister's Office with effect from 01st February, 2019.

2. This issues in supersession of Notification of even number dated 09th October, 2013.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 17th January 2019

No. 13017/45/2018-AIS-I—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the State Governments of Jharkhand and Maharashtra, the Central Government hereby transfers Shri Jitendra Dudi, IAS (JH:2016) from Jharkhand cadre to Maharashtra cadre on grounds of marriage to Ms. Aanchal Dalal, IPS (MH:2018).

UDAI BHAN SINGH, Under Secretary

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 16th January 2019

No. A-32011/02/2018-Ad. Gazetted—In pursuance of Department of Expenditure's OM No. 32014/2/2019-CAS dated 09.01.2019, the President is pleased to appoint the following regular Private Secretaries of CSSS as Principal Private Secretary on adhoc basis in the Department of Economic Affairs in the Level 11 (67700-208700) with effect from the date mentioned against their names initially for the period upto 30.06.2019:—

Sr. No.	Names of Employee	Date of Joining in Cadre
1.	Sh. Ashish Sharma	28.12.2018 (AN)
2.	Sh. Sanjeev Kumar Sharma	28.12.2018 (AN)
3.	Sh. Abdul Wahid	31.12.2018 (F/N)
4.	Ms. Promila Chaudhary	31.12.2018 (F/N)
5.	Sh. Narender Kumar	31.12.2018 (F/N)
6.	Ms. Govind Rajawat	31.12.2018 (F/N)

2. The adhoc appointment of above mentioned PSs as PPS will be subject to the following terms and conditions:—

- a. The adhoc appointment shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade of PPS of CSSS.

- b. Adhoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.
- c. The services rendered on ad-hoc basis in the Principal Private Secretary grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade.
- d. The SLP(C) No. 30621/2011 arising out of the final judgement and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court.
- e. The SPC (C) No. 31288/2017 arising out of the Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP(C) No. 3490/2010 filled by All India Equality Forum & others Vs. UOI & Ors. and other related court cases in any competent court.
- f. The WP(C) 1738/2017 in UOI & ANR Vs. Himanshu Prabhakar & Ors pending before Hon'ble Delhi High Court arising out of OA No. 2883/2015 with OA No. 2891/2015 and Review Petition RA No. 266/2016 in CAT, PB.
- g. Any other court cases in a connected matter.

DEBASHISH HALDER, Under Secretary

The 18th January 2019

No. A-32011/02/2018-Ad. Gazetted—In pursuance of Department of Expenditure's OM No. 12026/3/2016-CAS dated 09.01.2019, the President is pleased to appoint the following regular Personal Assistants of CSSS as Private Secretary on adhoc basis in the Department of Economic Affairs in the Level 8 (47600-151100) with effect from the date mentioned against his name initially for the period upto 30.06.2019:—

Sr. No.	Names of Employee	Date of Joining in Cadre
1.	Ms. Manju Rani	20.12.2018(F/N)
2.	Sh. Suresh Kumar	28.12.2018(F/N)

2. The adhoc appointment of above mentioned PAs as PS will be subject to the following terms and conditions:
 - a. The adhoc appointment shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade of PS of CSSS.
 - b. Adhoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.
 - c. The services rendered on ad-hoc basis in the Private Secretary grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade.
 - d. The SLP(C) No. 30621/2011 arising out of the final judgement and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court.
 - e. The SPC (C) No. 31288/2017 arising out of the Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP(C) No. 3490/2010 filled by All India Equality Forum & others Vs. UOI & Ors. And other related court cases in any competent court.
 - f. The WP(C) 1738/2017 in UOI & ANR Vs. Himanshu Prabhakar & Ors pending before Hon'ble Delhi High Court arising out of OA No. 2883/2015 with OA No. 2891/2015 and Review Petition RA No. 266/2016 in CAT, PB.
 - g. Any other court cases in a connected matter.

DEBASHISH HALDER, Under Secretary

The 22nd January 2019

No. A-12011/04/2017-Ad.II—In pursuance of Department of Personnel & Training Order No. 4/11/2015-CS-I (D)(pt-I) (Vol.III), dated 28.12.2018, the President is pleased to appoint the following Grade-I (Under Secretaries) officer of the Central Secretariat Service (CSS) to the Selection Grade (Deputy Secretary) in the Pay Matrix Level-12 (Rs. 78,800—2,09,200) purely on 'ad-hoc' basis for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders, whichever is earlier in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs against Seniority with effect from the date mentioned against each:—

CSL	Name (Shri/Smt./Ms.)	Date of Joining
6317	D. Bandyopadhyay	14.01.2019 (FN)

2. The appointment/promotion of the aforesaid officer as Deputy Secretary on Ad-hoc basis is subject to the conditions/instructions as mentioned in DoP&T's Order No. 4/11/2015-CS.I(D)(Pt.I)(Vol.III) dated 28.12.2018. It is also subject to the outcome of the SLP(C) No. 30621/2011 (Jarnail Singh & Ors Vs Lachmi Narain Gupta & Ors) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court case in connected matter.

DEBASHISH HALDER, Under Secretary

DEPARTMENT OF INVESTMENT & PUBLIC ASSET MANAGEMENT

New Delhi, the 22nd January 2019

No. 9/7/2018-Admn—In pursuance of Ministry of Home Affairs' (OL) office order No.5/6/2017-OL (Services) dated 08.11.2018 and subsequent relieving orders of Department of Economic Affairs' (Administration Division) dated 15.11.2018, the President is pleased to appoint Smt. Rekha Rani Surya, Senior Hindi Translator as Assistant Director (OL) on regular basis with effect from 16.11.2018 (F/N).

RAGESH KANT, Under Secretary

No. 9/9/2018-Admn—In pursuance of DoPT's O.M. No. 4/2/2018-CS.II (A) dated 25.10.2018 and subsequent relieving from Ministry of Housing & Urban Affairs vide office order No.A-11019/1/2013-Admn.I dated 10.12.2018 and further posted to DIPAM vide Department of Expenditure's (CAS) order dated 19.12.2018, the President is pleased to appoint Ms. Sandhya Ner, Personal Assistant as Private Secretary on ad-hoc basis with effect from 11.12.2018 (F/N).

2. The appointment of the officer as PS purely on ad-hoc basis is subject to specifically the following and other terms and conditions as stipulated in DoP&T's Order No. 4/2/2018-CS.II (A) dated 25.10.2018:

- I. the SLP (C) No.30621/2011 arising out of the final judgement and order dated 15.7.2011 in CWP No.13218/2009 passed by the Hon'ble Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;
- II. the SLP (C) No. 31288/2017 arising out of the Hon'ble Delhi High Court judgement dated 23.8.2017 in WP(C) No.3490/2010 filled by the All India Equality Forum & Others vs. UoI & Ors. and other related court cases in any competent court.
- III. The WP(C) 1738/2017 in UOI & ANR Vs. Himanshu Prabhakar & Ors pending before Hon'ble Delhi High Court arising out of OA No. 2883/2015 with OA No. 2891/2015 and Review Petition RA No. 266/2016 in CAT, PB.
- IV. Any other court cases in a connected matter.

RAGESH KANT, Under Secretary

No. 9/10/2018-Admn—Consequent upon inclusion of his name in the Select List of Section Officers' Grade of CSS for the year 2017 against Seniority Quota and subsequent nomination and posting order issued vide Department of Expenditure's OM No.A.12026/5/2015-CAS (Vol.III) dated 20.12.2018, the President is pleased to appoint Shri Akula Srinivasulu, Assistant Section Officer (CSL No.2005/509) of CSS as Section Officer on regular basis with effect from 20-12-2018 (F/N).

2. The appointment of the officer as Section Officer on regular basis is subject to specifically the following and other terms and conditions as stipulated in DoP&T's Order No. 6/6/2018-CS.I(S) dated 26.11.2018:

"The orders/outcome of the following court cases and also any other order by any Competent Court in any of the connected matters:

- i. SLP (Civil) No. 30621/2011, SLP No.31288/2017 and Contempt Petition No.314/2016 in Supreme Court of India;
- ii. OA No. 823/2013 filed by Shri Deepak Malhotra & Ors. Vs. UoI.

RAGESH KANT, Under Secretary

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 8th January 2019

No. A-32012/1/2010-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training O.M. No. 6/4/2016-CS.I(S) dated 28th December, 2018, the President is pleased to appoint Shri Arvind Kumar, Assistant Section Officer (CSS) of CSS to the post of Section Officer of CSS in the Department of Consumer Affairs in the Level 8 (₹ 47,600 – ₹ 1,51,100) of

Pay Matrix w.e.f. the forenoon of 01.01.2019 on ad-hoc basis initially for a period upto 31.12.2019 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders whichever is earlier.

2. The above appointment to the post of Section Officer (CSS) on ad-hoc basis is subject to further orders which may be passed by the Hon'ble Supreme Court in cases as mentioned in para 4(vii) in DoP&T's O.M. No. 6/4/2016-CS.I(S) dated 28th December, 2018 and orders of any competent court in any concerned matter.

ANIL KUMAR PANDEY, Under Secretary

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi-110011, the 28th January 2019

No. A.12025/161/2017-CHS.III—The President is pleased to appoint Dr. Ravi Prakash to the post of Assistant Professor in the speciality of Anaesthesia in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 01.11.2017 and until further orders.

C. S. BAHUGUNA, Under Secretary

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 23rd January 2019

No. 6(2788)/2017-Adm/1065—Joint Secretary (A&A), DAE is pleased to appoint Shri D. Ramakrishna, Accounts Officer (Level- 9 of Pay Matrix), IIW, DAE, Hyderabad as Senior Accounts Officer (Level-10 of Pay Matrix) in the same Department with effect from the forenoon of 01st May 2018 until further orders.

ASHOK B. GERIRA, Under Secretary

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

Delhi, the 30th January 2019

No. 19011/1/2019-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 4/2/2018-CS.II(A) dated 22.11.2018 and subsequent relieving from Ministry of Agriculture & Farmers Welfare vide order no. A-31023/1/2018-Admn. dated 20.12.2018, the President is pleased to appoint Ms. Rashmi Manchanda as Private Secretary on ad-hoc basis in Ministry of Tribal Affairs w.e.f. 28.12.2018 (FN). The appointment of Ms. Rashmi Manchanda as Private Secretary is subject to the following conditions:—

- (a) The SLP(C) No. 30621/2011 arising out of final judgement and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;
- (b) The SLP(C) No. 31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court judgement dated 23.08.2017 in WP(C) No. 3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs. UOI & Ors and other related court cases in any competent court;
- (c) The WP(c) 1738/2017 in UOI & ANR Vs. Himanshu Prabhakar & ORS pending before Hon'ble Delhi High Court arising out of O.A. No. 2882/2015 with O.A No. 2891/2015 and Review Petition RA No. 266/2016 in CAT, PB;
- (d) Any other court case in a connected matter.

REEMA SHARMA, Under Secretary

No. 19011/3/2019-Estt.—In pursuance of Department of Economic Affairs' Order No. 13016/2/2018-IES dated 29.8.2018, the President is pleased to appoint Ms. Sherry Lalthangzo (IES : 1996) as Economic Adviser in Ministry of Tribal Affairs with effect from the forenoon of 7.1.2019.

REEMA SHARMA, Under Secretary

No. 19011/5/2019-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 4/2/2018-CS.II(A) dated 28.12.2018 and subsequent relieving from Department of Commerce vide order A-32013/01/2018-Estt-II dated 18.1.2019, the President is pleased to appoint Ms. Deepa Joshi as Private Secretary on ad-hoc basis in Ministry of Tribal Affairs w.e.f. 21.1.2019 (FN). The appointment of Ms. Deepa Joshi as Private Secretary is subject to the conditions stipulated in DoPT's OM No. 4/2/2018-CS.II(A) dated 28.12.2018 and outcomes of the following court cases:—

- (a) The SLP(C) No. 30621/2011 arising out of final judgement and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;
- (b) The SLP(C) No. 31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court judgement dated 23.08.2017 in WP(C) No. 3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs. UOI & Ors and other related court cases in any competent court;
- (c) The WP(c) 1738/2017 in UOI & ANR Vs. Himanshu Prabhakar & ORS pending before Hon'ble Delhi High Court arising out of O.A. No. 2882/2015 with O.A No. 2891/2015 and Review Petition RA No. 266/2016 in CAT, PB;
- (d) Any other court case in a connected matter.

REEMA SHARMA, Under Secretary

No. 19011/20/2018-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 4/2/2018-CS.II(A) dated 22.11.2018 and subsequent relieving from Ministry of Water Resources RD & GR vide order no. A-31023/1/2018-Admn. dated 20.12.2018, the President is pleased to appoint Sh. Raj Kumar Badlia as Private Secretary on ad-hoc basis in Ministry of Tribal Affairs w.e.f. 31.12.2018 (FN). The appointment of Sh. Raj Kumar Badlia as Private Secretary is subject to the following conditions:

- (e) The SLP(C) No. 30621/2011 arising out of final judgement and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;
- (f) The SLP(C) No. 31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court judgement dated 23.08.2017 in WP(C) No. 3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs. UOI & Ors and other related court cases in any competent court;
- (g) The WP(c) 1738/2017 in UOI & ANR Vs. Himanshu Prabhakar & ORS pending before Hon'ble Delhi High Court arising out of O.A. No. 2882/2015 with O.A No. 2891/2015 and Review Petition RA No. 266/2016 in CAT, PB;
- (h) Any other court case in a connected matter.

REEMA SHARMA, Under Secretary

No. 32013/2/2018-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 2/5/2017-CS.II(A) dated 28th December, 2018, the following Principal Private Secretaries (PPSs) of CSSS are promoted to the post of Senior Principal Private Secretaries (Sr. PPS) on ad-hoc basis in Ministry of Tribal Affairs w.e.f. 28.12.2018 (AN), for the period up to 30.6.2019 or till the posts are filled up on regular promotion or until further orders, whichever is earlier,

- (i) Sh. Satish Kumar, PPS
- (ii) Sh. Thakur Singh Negi, PPS

2. The promotion of the officers is subjected to the conditions laid down in the DoPT's O.M. No. 2/5/2017-CS.II(A) dated 28th December, 2018.

REEMA SHARMA, Under Secretary

No. 32013/3/2018-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 3/3/2018-CS.II(A) dated 28th December, 2018, the following Private Secretaries (PSs) of CSSS are promoted to the post of Principal Private Secretaries (PPS) on ad-hoc basis in Ministry of Tribal Affairs w.e.f. the date mentioned against their names, for the period up to 30.6.2019 or till the posts are filled up on regular promotion or until further orders, whichever is earlier,

- (i) Sh. Harvinder Singh, PS – 28.12.2018 (AN)
- (ii) Ms. Madhu Sawhney, PS – 28.12.2018 (AN)
- (iii) Ms. Vidyut Prabha, PS – 01.01.2019 (FN)

2. The promotion of the officers is subjected to the conditions laid down in the DoPT's O.M. No. 3/3/2018-CS.II(A) dated 28th December, 2018.

REEMA SHARMA, Under Secretary

No. 32013/4/2018-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/4/2017-CS.I(U) dated 28th December, 2018, the following Section Officers of CSS are promoted to the Grade-I (Under Secretary) of CSS in Pay Matrix Level – 11 on purely ad-hoc basis in Ministry of Tribal Affairs w.e.f. 1.1.2019 (FN) for a period upto 30.6.2019 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders, whichever is earlier,

- (i) Sh. Rajiv Kumar Singh, SO
- (ii) Sh. Praveen Pandit, SO
- (iii) Sh. Sanjay Kumar Tiwary, SO

2. The promotion of the officers is subject to the conditions laid down in the DoPT's O.M. No. 5/4/2017-CS.I(U) dated 28th December, 2018.

REEMA SHARMA, Under Secretary

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 24th January 2019

No. 2016/E(GR)II/7/16—The President is pleased to appoint the following doctors as Assistant Divisional Medical Officers selected on the basis of Combined Medical Services Examination, 2012, in the Indian Railway Medical Service with effect from the date(s) mentioned against each:—

S.No.	IRMS Rank	Name (Dr.)	Cate.	Date of Joining	Revival, if any	Remarks, if any
1	9	(Ms.) SUMAIYA SIDDIQUI	GEN	12.09.2013		On study leave
2	11	RAJIV KAMAL	OBC	06.01.2014		
3	14	DHANWANTARI SHUKLA	GEN	27.06.2017	Revival	Absent since 13.04.2018
4	19	SAYANTAN SAHA	GEN	06.01.2014		
5	23	AMRENDRA KUMAR CHOUDHARY	GEN	21.12.2015	Revival	
6	26	SHRAWAN KUMAR	OBC	06.01.2014		Resigned w.e.f. 18.06.2015
7	32	ARGHYA BASU	GEN	15.09.2014		
8	33	SUPRIYA GURIA	GEN	15.09.2014		
9	34	VARUN S	OBC	15.09.2014		Resigned w.e.f. 19.10.2015
10	37	(Ms.) ASMITA SINGH	GEN	09.01.2017	Revival	Absent since 31.07.2017
11	41	(Ms.) SUNETRA ROY	GEN	15.09.2014		
12	42	KRITI SUNDER LAL	GEN	06.01.2014		
13	47	RAHUL SINGH	GEN	06.01.2014		On study leave
14	48	SANDIP KUMAR PARIA	GEN	28.04.2014		
15	56	TUSHAR SAINI	OBC	27.06.2017	Revival	
16	60	MULLAPUDI ADITYAKUMAR VENKATA	GEN	06.01.2014		On study leave
17	61	(Ms.) SHAKRAJA	OBC	21.12.2015	Revival	
18	62	(Ms.) NUPUR PANDEY	GEN	06.01.2014		
19	76	MARATHE PARAG SHRIKRISHNA	GEN	06.01.2014		
20	80	SUDIPTO MALLICK	GEN	21.12.2015	Revival	
21	83	(Ms.) SHUBHAMOY GANTAIT	GEN	06.01.2014		
22	87	DEEPAK BINDAL	GEN	12.09.2013		
23	93	(MS.) ANITA KUMARI	GEN	30.03.2016	Revival	
24	95	(Ms.) POOJA NAWAL	GEN	21.12.2015	Revival	
25	96	IMRAN KHAN	OBC	21.12.2015	Revival	
26	100	B.V. KRISHNA	OBC	10.01.2014		
27	101	ASHOK BANSAL	GEN	21.12.2015	Revival	

28	102	ARUNRAJ M V	OBC	27.06.2017	Revival	
29	103	KARTICK RASTOGI	GEN	28.04.2014		Resigned w.e.f. 23.05.2014 during training at NAIR
30	106	SARSIJ KANDPAL	GEN	27.06.2017	Revival	
31	115	KAVIN KHATRI	GEN	15.09.2014		Resigned during training at NAIR
32	117	KAMAL KUMAR	GEN	27.06.2017	Revival	
33	119	SANKET ANAND	OBC	06.01.2014		
34	120	RISHI DIXIT	GEN	27.06.2017	Revival	
35	122	SANTOSH KUMAR MAURYA	OBC	06.01.2014		
36	127	(Ms.) PAYAL PRAKASH	OBC	28.04.2014		
37	128	RAJESH JAKKU	OBC	06.01.2014		On study leave
38	134	ARUN SARAVANAN S	OBC	15.09.2014		
39	135	KARAN CHAUDHARY	OBC	06.01.2014		Resigned (Technical) w.e.f. 03.09.2015
40	139	ANSHUMAN MUKUL	OBC	21.12.2015	Revival	
41	141	JATADHARI MAHAR	OBC	06.01.2014		
42	152	NAMRATA SINGH	OBC	27.06.2017	Revival	
43	154	DUDHMALE MANISHA NAGARAO	SC	06.01.2014		
44	158	MULLA SADIQ YUNUS	OBC	06.01.2014		Absent since 16.06.2014
45	161	DHAGE RAJESH SURESHRAO	OBC	06.01.2014		
46	166	AFSHAN P T	OBC	06.01.2014		Absent since 29.06.2014
47	171	TARUN PEELA	OBC	06.01.2014		On study leave
48	172	DEEPAK SINGH	OBC	06.01.2014		Absent since 05.08.2017
49	174	BIJAY BANIK	SC	06.01.2014		
50	178	HADIK AL JOUHAR K	OBC	06.01.2014		Absent since 01.06.2015
51	179	SANJEET KUMAR	OBC	27.06.2017		
52	180	INDRAJEET URADIYA	OBC	06.01.2014		On study leave
53	181	ABDULLAH	OBC	06.01.2014		Absent since June 2014
54	186	P. PRANAYA VANI	OBC	21.12.2015	Revival	
55	187	HARSHA U	OBC	06.01.2014		On study leave
56	195	SHANMUGA PRIYA S	OBC	12.09.2013		
57	196	SWATI RANI SINGH	OBC	06.01.2014		
58	197	VIVEK KUMAR SONI	OBC	06.01.2014		On study leave
59	202	(Ms.) MADHU MALA	OBC	27.06.2017	Revival	
60	204	AJAY KUMAR	OBC	06.01.2014		
61	206	(Ms.) ANUPMA KUMARI	OBC	09.01.2017	Revival	
62	211	M PARVEEN KUMAR	SC	06.01.2014		Absent since 18.10.2014
63	211A	(Ms.) REKHA DUNIWAL	OBC	15.09.2014		
64	213	RACHURI NARASIMHA NISHANTH	SC	06.01.2014		
65	215	GNANESWAR GOLI	SC	27.06.2017	Revival	
66	216	DHARAMRAJ SINGH	SC	01.07.2015		
67	217	(Ms) ANITA BAGHEL	SC	06.01.2014		

68	218	VIJAY KUMAR M	SC	06.01.2014		
69	224	VINOD RATHOD	SC	06.01.2014		On Extra Ordinary Leave w.e.f. 01.06.2015
70	228	G MANJUNATH	SC	06.01.2014		On Extra Ordinary Leave w.e.f. 21.05.2015
71	233	(Ms.) RAJYALAKSHMI TALAPALA	ST	12.09.2013		Absent since 27.05.2016
72	234	PANKAJ MAHESWARI (PH)	GEN/PH	06.01.2014		On study leave
73	237	SEERAM DURGA PRASAD	ST	06.01.2014		
74	241	(Ms.) MELWYNN A FERVIS	ST	12.09.2013		
75	242	NASREEM VALUGOTHI	ST	06.01.2014		
76	243	SHESHADARA KRISHNA SONOWAL	ST	09.01.2017	Revival	
77	247	(Ms.) NITI KUMARI	ST	28.04.2014		

R. K. SINHA
Joint Director/Estt.(Gazetted)

New Delhi, the 24th January 2019

No. ERB-I/2018/2/92—The President is pleased to appoint Shri V.K.Yadav, IRSEE, as Chairman, Railway Board and ex-officio Principal Secretary to the Government of India w.e.f. forenoon of 01.01.2019.

SUSHANT KUMAR MISHRA, Secretary

New Delhi, the 15th January 2019

No. ERB-I/2018/10/66—Shri Ashwani Lohani, Chairman, Railway Board and Ex-Officio Principal Secretary to the Government of India in the Ministry of Railways retired from service with effect from the afternoon of 31.12.2018, on attaining the age of superannuation.

RANJANESH SAHAI, Secretary

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 26th December 2018

Notification No. 01/2018 [No. 22/21/2016-GWE (Vol.II)]—Dr. Manish Srivastava, Junior Hydrogeologist (Scientist 'B') working in Central Ground Water Board was transferred in public interest CGWB, WR, Jaipur to CGWB, SR, Hyderabad vide CGWB Office Order No. 280 of 2012 issued vide letter No. 51 (36)/ MS/Estt./Vol.3/2002-428 dated 13.09.2012. However, instead of complying with the transfer order, Dr. Manish Srivastava contested the transfer order by filing OA No. 276/2012 before the Hon'ble CAT, Jaipur Bench which was disposed off by the Hon'ble CAT vide order dated 04.04.2013 as being bereft of merit fails and dismissed with no order as to cost.

2. In compliance with the directions of the Hon'ble CAT, Jaipur Bench order dated 04.04.2013, Dr. Manish srivastava was relieved from CGWB WR, Jaipur and directed to report for duty at CGWB, SR, Hyderabad vide Office Order No. 29 of 2013 issued under letter No. 51 (36)/MS/Estt./Vol.3/2002-396 dated 09.04.2013.

3. Dr. Manish Srivastava neither join duty at Hyderabad nor bothered to apply for leave as per rules. Instead he kept on filing Court Cases against his transfer orders and used to submit numerous representations on the same issue over the years thereby keeping the Ministry and CGWB pre-occupied and overloaded with Court Cases. The Ministry complied with all the directions of the various Court judgments and all the issues raised by the officer in his representations dated 06.06.2013, 19.03.2014, 30.08.2015 and 13.04.2016 were duly considered and disposed off by the Competent authority by issuing detailed Speaking Orders dated 14.03.2014, 21.06.2016 and 13.07.2016 and Dr. Manish Srivastava was directed to immediately report for duty at Hyderabad on each occasion. Unfortunately, Dr. Manish Srivastava still has not reported for duty at CGWB, SR, Hyderabad not bother to apply for leave as per Rule.

4. In terms of DoPT Notification G.S.R. 261 (E) dated 29.03.2012, read with Rule 12(2) of CCS (Leave) Rules, 1972, a Government servant who remains absent from duty for a continuous period exceeding five years other than on foreign service, with or without leave, shall be deemed to have resigned from the government service provided that a reasonable opportunity to explain the reasons for such absence shall be given to that Government servant before provisions of sub-rule (2) are invoked.

5. Dr. Manish Srivastava was served a Show Cause Notice No. 3-1298/2001 –Sci.Estt.3039 dated 29.05.2018 by the Central Ground Water Board, Faridabad through the Regional Director, CGWB, WR, Jaipur giving him one more opportunity to explain as to why the provisions of Rule 12(2) of CCS (Leave) Rules, 1972 should not be invoked against him for his long period of unauthorised absence from duty despite the repeated directions issued to him.

6. Dr. Manish Srivastava submitted a reply dated 19.06.2018 addressed to the Hon'ble President of India (through Secretary to Govt. of India, MoWR), wherein he has repeated the same points which were already agitated by him before the Courts and in his earlier representations. The officer has not bring out any new fact or material which have not been considered earlier. All the issues raised by him were already considered and disposed off by the competent Authority in the Ministry vide detailed Speaking Orders dated 14.03.2014, 21.06.2016 and 13.07.2016. As such, reply to the Show Cause Notice dated 19.06.2018 received from Dr. Manish Srivastava has been examined again by the Competent Authority and a detailed Speaking Order has been issued vide this Ministry's No. 22/21/2016-GWE (Vol.II) dated 26.12.2018.

7. Dr. Manish Srivastava, has unauthorisedly absented himself from attending office continuously with effect from 09.04.2013 (AN) onwards and he has neither reported for duty at CGWB, Southern Region, Hyderabad nor apply for leave. The period of unauthorized absence from 09.04.2013 (AN) to till date has exceeded more than 5(five) years.

8. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Department of Personnel & Training G.S.R. 261(E) dated 29.03.2012, read with Rule 12(2) of CCS (Leave) Rules, 1972, the President of India is pleased to treat the continuous unauthorized absence of Dr. Manish Srivastava from duties as deemed resignation from service with effect from 09.04.2013(AN).

9. Dr. Manish Srivastava, Junior Hydrogeologist (Scientist 'B') shall not be entitled for any retirement benefits.

S.K. KATARIA, Under Secretary